न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 06/2024 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के–2012)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर –प्रार्थी

बनाम

1. राजू राम पुत्र श्री भंवरलाल खाद्यकारोबारकर्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार(हाउस), वार्ड नं. 13 जम्बेश्वर मन्दिर के पास, खाजूवाला रोड़, रावला, जिला अनूपगढ़। –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006

निर्णय दिनांकः– 22.11.2024

यह इस्तगासा **श्री हेतराम** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व धारा 51, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा मे वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हेतराम** दिनांक 22.09.2023 को समय **01:30 पीएम बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **बालाजी मिष्ठान भण्डार(हाउस), वार्ड नं. 13 जम्बेश्वर मन्दिर के पास, खाजूवाला रोड़, रावला, जिला अनूपगढ़** पर निरीक्षण हेतु पहुंचे व निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **राजू राम पुत्र भंवरलाल(विक्रेता)** को अपना परिचय देकर दुकान में कडाई में **RUCO(Refined soyabean oil)** लगभग 15 किलों रखा हुआ था, के बारे में जानकारी चाही। अप्रार्थी **राजू राम पुत्र भंवरलाल** ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में कडाई में रखे **RUCO(Refined soyabean oil)** 15 किलो **नमकीन एवं समोसा तैयार कर** आमजन में बेचान वास्ते बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **RUCO(Refined soyabean oil)** 1.6 किलोग्राम साफ सुथरे स्टील के बर्तन में विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **RUCO(Refined soyabean oil))** का नगद भुगतान 200/– रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता राजू राम तथा गवाहान के हस्ताक्षर व स्वयं के हस्ताक्षर है, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **राजू राम पुत्र श्री भंवरलाल(विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री राजू राम पुत्र श्री भंवरलाल(विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **RUCO(Refined soyabean oil)** 1.6 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर साफ–सुथरे व सूखे 04 डिब्बों में भरकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन को एयरटाइट कर लिया। चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के–2012** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी मोटे कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2012** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील वन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजू राम एवं गवाहान ने भी पढकर, समझाकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे मे सीलबंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2023/1560-61 दिनांक 30.10.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **RUCO(Refined soyabean oil)** का नमूना **Sub-standard Food** होना पाया गया, को भेजकर उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जॉच रिर्पाट मय अग्रेषित पत्र न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक FSSA/2023/1560-61 दिनांक 30.10.2023** द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने का कोई आवेदन नहीं किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतराम ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 04.01.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) **एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक 401–02 दिनांक 09.01.2024** के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **राजू राम पुत्र भंवरलाल** (विक्रेता व मालिक) **मैसर्स श्री बालाजी मिष्ठान भण्डार(हाउस), वार्ड नं. 13, जम्बेश्वर मन्दिर के पास, खाजूवाला रोड़, रावला** ने खाद्य पदार्थ **RUCO(Refined soyabean oil), Sub-standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में **निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चुघ उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में कथन किया गया है कि बिन्दु संख्या 01 रिकॉर्ड का तथ्य है। बिन्दु संख्या 02 में परिचय देना तक स्वीकार है, शेष अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 में दर्ज तथ्य रिकॉर्ड तथ्य है। बिन्दु संख्या 04 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार है। अप्रार्थी उक्त तेल के निर्माता नहीं है। इसलिए कानूनन सैम्पल की कार्यवाही उक्त तेल निर्माता कम्पनी से की जानी चाहिए। बिन्दु सं. 06 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 07 अज्ञानता से अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 8 अस्वीकार है। अप्रार्थी उक्त तेल के निर्माता नहीं है। इसलिए कानूनन सैम्पल की कार्यवाही उक्त तेल निर्माता कम्पनी से की जानी चाहिए। बिन्दु सं. 09 से बिन्दु सं. 12 तक अस्वीकार है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त कथन में कहा है कि अप्रार्थी द्वारा भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा जारी लाईसेंसी फर्म/ कम्पनी से उपरोक्त रिफाईड सोयाबीन ऑयल विधिवत रूप से खरीद किया है। अप्रार्थी ने फर्म/कम्पनी से पैकेज्ड सामान खरीदा है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल के साथ किसी प्रकार की छेडछाड या उसमें किसी प्रकार का अपमिश्रण नहीं किया गया। अतः खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा अवैध रूप से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को विनिर्माता कम्पनी/फर्म के कार्यालय तथा कारखाने में सैम्पलिंग करनी चाहिए थी। अतः जबाव परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारार प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **RUCO(Refined soyabean oil)** के नमूना जांच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक **L.S.1549/Act/2023/1549** दिनांक 10.10.2023 में खाद्य पदार्थ **RUCO(Refined soyabean oil)** एफ. एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51 का उल्लंघन करते हुए नमुना के–**2012 Sub-Standard Food** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(।।) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस

न्याय निर्णय के अभिहित अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2)(II), 51 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **RUCO(Refined soyabean oil))** हेतु राजू राम पुत्र श्री भंवरलाल खाद्यकारोबारकर्ता (विक्रेता व मालिक) मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार(हाउस), वार्ड नं. 13 जम्बेश्वर मन्दिर के पास, खाजूवाला रोड़, रावला, जिला अनूपगढ़ को रु 2,00,000/- रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.24 को सुनाया गया।

22/11/24

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner